न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या – 112/2014

प्रार्थीगण –

1. डूंगरराम पुत्र पेमाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम
3. कमली पुत्री पेमाराम

जातियान–भांबी, निवासीगण–जालनियासर तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. पेमाराम पुत्र लालूराम
   कौम–भांबी, निवासी–जालनियासर तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल।
3. उप पंजीयक अधिकारी उप तहसील डेह

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1,व 2 सीपीसी

थत –

1. अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2, 3 भूमिधारी/परफोर्मा पक्षकार।

दिनांक : 26/07/2024

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री है। इनके पुश्तैनी बढेर के खेत ग्राम जालनियासर तहसील जायल में खसरा नं. 596/68 व 631/38 आये हुये है। प्रार्थीगण का नाम उक्त खसरान की भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होने से सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 15.09.2014 को प्रार्थीगण को उक्त भूमि का बैचान करने की धमकी दी है। यदि अप्रार्थी पुश्तैनी भूमि का बगैर

26/07/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

विभाजन कराये जाने बैचान हस्तान्तरण या गिरवी रहन कर देगा तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी तथा अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 को मुतदाविया खेताय की भूमि खसरा नं. 596/68, 631/38 बैचान हस्तान्तरण नहीं या गिरवी रहन नहीं करने तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का सम्मन स्वयं से तामील सुदा प्राप्त होकर शामिल मिसल है, जो कि प्रकरण में भूमिधारी/परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है, इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरासर गलत आधारो पर, विधि विरूद्ध व आवश्यक पक्षकारो को संयोजित किये जाने बिना पेश किया है, जो कि मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी ने जवाब में बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 का विवाह मनोहरी के साथ हुआ, लेकिन उसकी सगी बहन शांति जो जन्म से अंधी होने से उसके पिता ने मनोहरी के साथ शांति को विवाह भी मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के साथ कर दिया। विवाद पश्चात मनोहरी की दो पुत्रियां रामी व छोटी उत्पन्न हुई। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी दोनो पत्नियों को एक साथ रखता है तथा दोनो पत्नियों से उत्पन्न संतान का बराबर–2 हिससा उतरदाता की सम्पति में हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की पुत्रियों को तथ्यों को छुपाते हुयें प्रकरण में जानबुझ कर आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण द्वारा काफी समय से अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नि को तंग, परेशान, गाली गलौच व मारपीट करते है, जिस पर मजबूर होकर उतरदाता ने दिनांक 19.08.16 को पुलिस थाना सुरपालिया में लिखित रिपोर्ट भी पेश की। मुतदाविया खेताय की भूमि अप्रार्थी की है। प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि अप्रार्थी द्वारा पूर्व में दे दी गई है। प्रार्थीगण येन केन प्रकारेण उतरदाता/अप्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल कर भूमि हड़पना चाहते है। इसी प्रकार उतरदाता द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार धमकी नहीं दी गई। प्रार्थीगण द्वारा बदनियती से गलत तथ्यों के आधार पर रेकडेड खातेदार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है, जिसे मामला प्रथम दृष्टयां अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण को उनके हिस्से के अनुसार भूमि बंट में दी गई है। इसलिए उनको किसी प्रकार की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन, असत्य तथ्यों पर आधारित व आवश्यक पक्षकार रामी व छोटी को संयोजित नहीं करने अभाव में खारिज योग्य है।

प्रकरण में सभी पक्षकारान् की तलबी हो जाने तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो जाने से किसी प्रकार कार्यवाही अवशेष नहीं होने से वास्ते बहस अन्तिम हेतु पत्रावली नियत की गई।

4. बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री है। इनके पुश्तैनी बढेर' के खेत ग्राम जालनियासर तहसील जायल में खसरा नं. 596/68 व 631/38 आये हुये है। प्रार्थीगण का नाम उक्त खसरान की भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होने से सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण पूर्णतः सफल होगें। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को उक्त भूमि का बैचान करने की धमकी दी जा जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई। अप्रार्थी पुश्तैनी भूमि का बगैर विधिवत् विभाजन कराये बैचान हस्तान्तरण या गिरवी रहन कर देगा तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी तथा अपूरणीय क्षति होगी, इसलिए दिनांक 23.09.2014 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद पुख्ता किया जावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मुतदाविया खेताय की भूमि खसरा नं. 596/68, 631/38 बैचान हस्तान्तरण नहीं या गिरवी रहन नहीं करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे।

5. दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों/कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी की अन्य दो संतान रामी व छोटी आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त भी पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के अभाव में खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी ने आगे बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 का विवाह मनोहरी के साथ हुआ, लेकिन उसकी सगी बहन शांति जो जन्म से अंधी होने से उसके पिता ने मनोहरी के साथ शांति को विवाह भी मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के साथ कर दिया। विवाह पश्चात मनोहरी की दो पुत्रियां रामी व छोटी उत्पन्न हुई। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी दोनो पत्नियों को एक साथ रखता है तथा दोनो पत्नियों से उत्पन्न संतान' का बराबर–2 हिस्सा उतरदाता की

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सम्पति में हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की पुत्रियों के होने के तथ्यों को छुपाते हुये प्रकरण में जानबुझ कर आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण द्वारा काफी समय से अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नि को तंग, परेशान, गाली गलौच व मारपीट करते है, जिस पर मजबूर होकर उतरदाता ने दिनांक 19.08.2016 को पुलिस थाना सुरपालिया में लिखित रिपोर्ट भी पेश की। मुतदाविया खेताय की भूमि अप्रार्थी की है। प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि अप्रार्थी द्वारा पूर्व में दे दी गई है। प्रार्थीगण येन केन प्रकारेण उतरदाता/अप्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल कर भूमि हड़पना चाहते है। उतरदाता द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार धमकी नहीं दी गई। प्रार्थीगण द्वारा बदनियती से गलत तथ्यों के आधार पर रेकडेड खातेदार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है, जिसे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, जवाब प्रार्थना पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर मनन किया गया, जिससे पाया कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा संतान है परन्तु अप्रार्थी के कथनानुसार उसकी दूसरी पत्नि मनोहरी की दो पुत्रियां रामी व छोटी भी है जिनको प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिऐ था जो कि नहीं किया गया है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी के अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डड खातेदार दर्ज है तथा किसी गैर खातेदार द्वारा बिना ठोस तथ्यों व आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। चूंकि अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जवाब में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी की संतान है तथा नकल जमाबंदी के अनुसार मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी बढेर की होना सम्पुष्ट है, जिसका बंटवारा किया जाकर जरिये डिक्री आदेश से नामान्तरकरण संख्या 522/14.08.2013 के दर्ज है। तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अन्य भूमि हक बंट में दिया जाना बताया है परन्तु कौनसी भूमि, किस राजस्व ग्राम में दी है का विवरण/दस्तावेज पेश नहीं किया हैं?

इसी प्रकार मुतदाविया खेताय की भूमि जो कि नकल जमाबंदी से पुश्तेनी होना साबित है, में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के साथ सहखातेदार दर्ज होना चाहते है, जो कि मूल वाद के निस्तारण से ही तय किया जायेगा। अतः जब तक मूल वाद का अन्तिम तौर पर निस्तारण न हो तब तक विवादग्रस्त खसरान की भूमि का बैचान हस्तान्तरण किसी पक्षकार द्वारा न किया जावे तथा न ही विवादग्रस्त भूमि खुर्द बुर्द हो। इसलिए दिनांक 23.09.2014 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद पुख्ता किया जाना उचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को ग्राम जालनियासर तहसील जायल के खसरा नं. 596/68 रकबा 08.11 बीघा खसरा नं. 631/38 रकबा 17.19 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.09.2014 को जारी की गई, अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद के अन्तिम तौर पर निस्तारण तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक 26/07/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/07/2024

(स्वीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला—नागौर